

THINK SOCIAL COHESION

आयोजक साझेदार



Summit Architect



मीडिया साझेदार



परामर्श प्रारूप

विकसित हो रहा सामाजिक सामंजस्य रोडमैप

16 अक्टूबर से 6 नवंबर 2026

प्रारूप अनुवाद। अभी NAATI द्वारा प्रमाणित नहीं। प्रकाशन से पहले आयोजक साझेदारों की जाँच के लिए। अंग्रेज़ी पाठ ही अधिकृत संस्करण है।

DRAFT TRANSLATION. Not yet NAATI certified. For checking by the convening partners before publication. The English text is the authoritative version.

→ विषय-सूची

रोडमैप	3	4 जवाबदेही	9
पाँच प्राथमिकताएँ, पाँच प्रस्तावित कार्रवाइयाँ	4	5 कथा	10
यह रोडमैप कहाँ से शुरू होता है	5	दो प्रस्ताव जिन्हें साथ रखना है	11
1 अधिकार और ज़िम्मेदारी	6	इस परामर्श का विस्तार	11
2 लोगों तक पहुँचना	7	हम आपसे क्या पूछ रहे हैं	12
3 भागीदारी	8		

SydWest, SSI और SCOA द्वारा परामर्श के लिए जारी। यह परामर्श प्रारूप शिखर सम्मेलन (Summit) और शिखर सम्मेलन रिपोर्ट के माध्यम से पहचानी गई पाँच उभरती प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाता है और प्रत्येक के अंतर्गत एक कार्रवाई प्रस्तावित करता है। प्राथमिकताओं या कार्रवाइयों को इस रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है कि शिखर सम्मेलन ने इन्हें पूरी तरह समर्थन या मंजूरी दे दी है। अब इन्हें आगे विचार और संशोधन के लिए वापस भेजा जा रहा है। यह जानबूझकर अंतिम नहीं है: इस ढाँचे का हर तत्व इस परामर्श के माध्यम से संशोधन के लिए खुला है।

Think Social Cohesion (सामाजिक सामंजस्य पर सोचें) राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ने दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया में विचारों की कमी नहीं है। कमी है कार्रवाई के लिए एक ऐसे ढाँचे की जो पर्याप्त रूप से साझा और जवाबदेह हो।

28 जुलाई 2026 को, 160 आमंत्रित नेताओं ने पैरामाटा में पूरा एक दिन उन परिस्थितियों की जाँच में बिताया जो सामाजिक सामंजस्य को मज़बूत या कमज़ोर करती हैं। हालाँकि चर्चाओं में हर मुद्दे पर सहमति नहीं बनी, फिर भी मुख्य भाषणों, पैनल चर्चाओं और प्रतिभागियों के योगदान में पाँच स्पष्ट प्राथमिकताएँ लगातार उभरकर सामने आईं। ये प्राथमिकताएँ कार्रवाई के लिए एक साझा आधार देती हैं, साथ ही यह स्वीकार करती हैं कि दृष्टिकोणों में महत्वपूर्ण अंतर अब भी बने हुए हैं और उन पर आगे विचार ज़रूरी है। ये पाँच प्राथमिकताएँ नीचे एक विकसित हो रहे ढाँचे के रूप में दी गई हैं, हर एक के बाद एक प्रस्तावित कार्रवाई और वे प्रश्न हैं जिन्हें परखने के लिए अब हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं।

हर प्रस्तावित कार्रवाई के साथ उसके स्रोत पर एक टिप्पणी है: शिखर सम्मेलन का निष्कर्ष, आयोजक साझेदारों द्वारा उसके बाद विकसित किया गया प्रस्ताव, या दोनों। शिखर सम्मेलन रिपोर्ट उस दिन का रिकॉर्ड है; यह रोडमैप बताता है कि हम कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने का क्या प्रस्ताव रखते हैं। हर कार्रवाई को एक अलग कार्य-क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा, और संगठनों को योगदान के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

पाँच प्राथमिकताएँ, पाँच प्रस्तावित कार्रवाइयाँ

अपनेपन, भागीदारी और विश्वास की परिस्थितियाँ बनाना

Think Social Cohesion (सामाजिक सामंजस्य पर सोचें) राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ने दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया में विचारों की कमी नहीं है। कमी है कार्रवाई के लिए एक ऐसे ढाँचे की जो पर्याप्त रूप से साझा और जवाबदेह हो। यह जानबूझकर अंतिम नहीं है: इस ढाँचे का हर तत्व इस परामर्श के माध्यम से संशोधन के लिए खुला है।

प्राथमिकता 1

अधिकार और ज़िम्मेदारी

व्यवस्था को क्या सुनिश्चित करना चाहिए?

शिखर सम्मेलन से

चर्चाओं के दौरान, प्रतिभागियों ने लगातार अधिकारों, दायित्वों और संस्थागत जवाबदेही के महत्व पर ज़ोर दिया।

प्रस्तावित कार्रवाई

सामाजिक सामंजस्य के लिए अधिकारों और संस्थागत ज़िम्मेदारी का एक ढाँचा स्थापित करना।

प्राथमिकता 2

लोगों तक पहुँचना

हम किन लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं?

शिखर सम्मेलन से

एक अधिक कठिन प्रश्न, जो चार सत्रों में स्वतंत्र रूप से उठा, यह है कि उन लोगों से कैसे जुड़ा जाए जो मौजूदा संस्थाओं और कार्यक्रमों की पहुँच से बाहर हैं।

प्रस्तावित कार्रवाई

उस स्थानीय बुनियादी ढाँचे में निवेश करना जिसके ज़रिये लोगों तक पहुँचा जाता है।

प्राथमिकता 3

भागीदारी

लोग योगदान कैसे करते हैं?

शिखर सम्मेलन से

विदेश में हासिल कौशल और योग्यताओं की मान्यता शिखर सम्मेलन का सबसे मज़बूत साक्ष्य वाला प्रस्ताव था, जो पाँच सत्रों में उठा और जिसका कोई विरोध दर्ज नहीं हुआ।

प्रस्तावित कार्रवाई

कौशल को काम में लाना और भागीदारी की बाधाएँ हटाना।

प्राथमिकता 4

जवाबदेही

परिणाम के लिए जवाबदेह कौन है?

शिखर सम्मेलन से

जैसा कि एक प्रतिभागी ने कहा, सुनना तब तक पूरा नहीं होता जब तक लोग यह न देख लें कि उनके बोलने से क्या बदला।

प्रस्तावित कार्रवाई

रोडमैप की हर प्रतिबद्धता पर जवाबदेही व्यवस्था लागू करना।

प्राथमिकता 5

कथा

कौन सी कहानी इन सबको संभव बनाती है?

शिखर सम्मेलन से

शिखर सम्मेलन बेहतर कहानियों की माँग से आगे गया। इसने सूचना परिवेश की संरचनात्मक विशेषताओं की पहचान की, जिनमें आक्रोश बढ़ाने के लिए तैयार किए गए एल्गोरिदम, व्यावसायिक प्रोत्साहन और ऐसा प्लेटफ़ॉर्म डिज़ाइन शामिल है जो समुदायों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर सकता है, और इसने डिजिटल देखभाल के कर्तव्य (digital duty of care) को एक संभावित संरचनात्मक उपाय के रूप में सामने रखा।

प्रस्तावित कार्रवाई

कहानी कहने का एक नैतिक ढाँचा और सूचना परिवेश के प्रति एक संरचनात्मक उपाय विकसित करना और बढ़ावा देना।

यह रोडमैप कहाँ से शुरू होता है

सामाजिक सामंजस्य के लिए कोई भी ऑस्ट्रेलियाई ढाँचा आदिवासी (Aboriginal) और टॉरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों को इस महाद्वीप के प्रथम लोगों के रूप में मान्यता देने से, और उपनिवेशीकरण, बेदखली और निरंतर संप्रभुता के ईमानदार विवरण से शुरू होना चाहिए। यह प्रस्ताव यहाँ परखने के लिए रखा गया है।

हर प्रतिबद्धता के साथ

एक नामित जवाबदेह नेता

संबंधित मुद्दे का प्रत्यक्ष अनुभव रखने वाला एक साझेदार

आवश्यक संसाधन

एक शुरुआती माप

छह महीने पर एक माप

प्रगति की रिपोर्टिंग का एक पारदर्शी तरीका।

→ यह रोडमैप कहाँ से शुरू होता है

शिखर सम्मेलन के बाद से, आयोजक साझेदारों ने प्रस्ताव रखा है कि प्रथम राष्ट्रों (First Nations) की संप्रभुता और सत्य-कथन को इस रोडमैप की वैचारिक नींव में स्थान मिलना चाहिए, न कि परामर्श के माध्यम से जोड़ी जाने वाली आवाज़ों में। शिखर सम्मेलन ने स्वयं दर्ज किया कि प्रथम राष्ट्रों के ज्ञान और नेतृत्व को उस दिन जितना ध्यान मिला, उससे कहीं अधिक ध्यान की ज़रूरत थी। यह प्रस्ताव यहाँ परखने के लिए रखा गया है।

रोडमैप को अंतिम रूप देने से पहले इस प्रस्ताव को प्रथम राष्ट्रों के नेताओं और संगठनों के साथ सम्मानजनक संवाद के माध्यम से आगे विकसित किया जाएगा। संचालन में एक सार्थक साझेदारी स्थापित करने के लिए समय, विश्वास और वास्तविक सहयोग चाहिए, और इसे एक छोटी परामर्श प्रक्रिया से हासिल नहीं किया जा सकता। रोडमैप इस साझेदारी के विकास को क्रियान्वयन की शुरुआती प्राथमिकताओं में रखेगा।

स्रोत: शिखर सम्मेलन के बाद आयोजक साझेदारों द्वारा विकसित प्रस्ताव।

परखने के लिए प्रस्ताव

सामाजिक सामंजस्य के लिए कोई भी ऑस्ट्रेलियाई ढाँचा आदिवासी (Aboriginal) और टॉरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों को इस महाद्वीप के प्रथम लोगों के रूप में मान्यता देने से, और उपनिवेशीकरण, बेदखली और निरंतर संप्रभुता के ईमानदार विवरण से शुरू होना चाहिए। अपनेपन को ऐतिहासिक विस्मृति पर नहीं बनाया जा सकता। सत्य-कथन, आत्मनिर्णय और प्रथम राष्ट्रों के लोगों तथा उन सभी के बीच सम्मानजनक संबंध, जिन्होंने बाद में यहाँ अपना जीवन बसाया, एक साझा राष्ट्रीय भविष्य की नींव हैं।

प्राथमिकता 1

→ अधिकार और ज़िम्मेदारी

व्यवस्था को क्या सुनिश्चित करना चाहिए?

सामाजिक सामंजस्य केवल सद्भावना, आकांक्षा या मूल्यों के सामान्य कथनों पर टिका नहीं रह सकता। चर्चाओं के दौरान, प्रतिभागियों ने लगातार अधिकारों, दायित्वों और संस्थागत जवाबदेही के महत्व पर ज़ोर दिया। इसमें मज़बूत कानूनी और अधिकार-आधारित सुरक्षा की माँग शामिल थी, और यह माँग भी कि नियोक्ताओं पर नस्लवाद को रोकने का सकारात्मक कर्तव्य हो, न कि वे केवल नुकसान हो जाने के बाद कार्रवाई करें। प्रारंभिक प्रस्ताव यह है कि हर प्रतिबद्धता के लिए एक कर्तव्यधारी का नाम तय हो, न कि दायित्व उन लोगों पर रहें जो नुकसान झेलते हैं।

शिखर सम्मेलन ने यह नहीं कहा कि केवल कानून से सामंजस्य बनता है। एक योगदान में मुख्यतः विधायी उपाय को स्पष्ट रूप से चुनौती दी गई। दिशा यह नहीं है कि संबंधों की जगह कानून ले ले, बल्कि यह है कि अधिकारों की एक मज़बूत नींव हो, और उसके साथ वे सामाजिक और संस्थागत परिस्थितियाँ भी हों जो उन अधिकारों को व्यवहार में महसूस करना संभव बनाएँ।

प्रस्तावित कार्रवाई • परखने के लिए

सामाजिक सामंजस्य के लिए अधिकारों और संस्थागत ज़िम्मेदारी का एक ढाँचा स्थापित करना।

हर दायित्व के लिए कर्तव्यधारी का नाम तय करना, और नियोक्ताओं तथा अन्य संस्थाओं पर नस्लीय भेदभाव रोकने के सकारात्मक कर्तव्य के औचित्य की जाँच करना। किसी व्यापक अधिकार-साधन का स्वरूप अभी खुला है। कोई भी विधायी उपाय शिखर सम्मेलन द्वारा पहचाने गए, संबंधों और स्थानीय समुदाय पर आधारित तरीकों के साथ-साथ विकसित किया जाना चाहिए, उनके विकल्प के रूप में नहीं।

स्रोत: शिखर सम्मेलन का निष्कर्ष (शिखर सम्मेलन रिपोर्ट, खंड 3.1 और 6.1)। शिखर सम्मेलन ने किसी न किसी रूप में कानूनी या अधिकार-आधारित साधन की माँग की, पर उसका स्वरूप तय नहीं किया।

परामर्श के लिए

- क्या यह चर्चा को दर्शाता है? अधिकार-साधन का स्वरूप क्या होना चाहिए, और सकारात्मक कर्तव्य कहाँ लागू होने चाहिए?

प्राथमिकता 2

→ लोगों तक पहुँचना

हम किन लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं?

सामाजिक सामंजस्य की पहलें अक्सर उन लोगों तक पहुँचती हैं जो पहले से ही जुड़ने के इच्छुक और सक्षम हैं। एक अधिक कठिन प्रश्न, जो चार सत्रों में स्वतंत्र रूप से उठा, यह है कि उन लोगों से कैसे जुड़ा जाए जो मौजूदा संस्थाओं और कार्यक्रमों की पहुँच से बाहर हैं: वे लोग जो जुड़ना छोड़ चुके हैं, वे जिनके लिए मौजूदा तरीके कारगर नहीं रहे, और वे जिन तक कभी सार्थक रूप से पहुँचा ही नहीं गया। शिखर सम्मेलन ने इन अनुभवों के बीच अंतर करने के महत्व को रेखांकित किया, यह मानते हुए कि ये भागीदारी की अलग-अलग बाधाओं को दर्शाते हैं और अलग-अलग उपायों की माँग करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भागीदारी की कमी को जुड़ने की इच्छा की कमी नहीं समझ लेना चाहिए।

लोगों तक पहुँचने का ज़रिया स्थानीय ही होता है: आसपास की जगहें, सेवाएँ और संगठन। स्थानीय सरकार, मोहल्ला संगठन, पुस्तकालय, स्कूल, कार्यस्थल, स्थानीय मीडिया, घर और काम के बाहर मेलजोल की जगहें, और छोटे अनुदानों जैसे स्थानीय स्तर के उपाय वे जगहें हैं जहाँ लोग संस्थाओं से और एक-दूसरे से मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अपना जीवन बसा रहे लोगों के लिए, नवागंतुकों को बसने और समाज से जुड़ने में मदद करने वाला बुनियादी ढाँचा समुदायों, सेवाओं और संस्थाओं तक पहुँचने का पुल है। लोगों तक सचमुच पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि संस्थाएँ बदलें कि वे कहाँ, कैसे और किनके माध्यम से जुड़ती हैं।

प्रस्तावित कार्यवाई • परखने के लिए

उस स्थानीय बुनियादी ढाँचे में निवेश करना जिसके ज़रिये लोगों तक पहुँचा जाता है।

स्थानीय सरकार, मोहल्ला संगठनों, पुस्तकालयों, स्कूलों, कार्यस्थलों और घर तथा काम के बाहर मेलजोल की जगहों को मज़बूत करना, साथ ही संस्थाओं के लिए यह ज़रूरी बनाना कि वे जाँचें और मज़बूत करें कि वे कहाँ, कैसे और किनके माध्यम से जुड़ती हैं, उन लोगों पर विशेष ध्यान देते हुए जिन तक मौजूदा नेटवर्क नहीं पहुँच पाते।

स्रोत: शिखर सम्मेलन का निष्कर्ष (शिखर सम्मेलन रिपोर्ट, खंड 3.2 और 6.2)।

परामर्श के लिए

- आपके समुदाय या क्षेत्र में कौन छूट रहा है, और उन तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा?
- रोडमैप को निवेश के लिए किस स्थानीय बुनियादी ढाँचे को प्राथमिकता देनी चाहिए?

प्राथमिकता 3

→ भागीदारी

लोग योगदान कैसे करते हैं?

विदेश में हासिल कौशल और योग्यताओं की मान्यता शिखर सम्मेलन का सबसे मज़बूत साक्ष्य वाला प्रस्ताव था, जो पाँच सत्रों में उठा और जिसका कोई विरोध दर्ज नहीं हुआ। जब क्षमता को अवसर में नहीं बदला जा सकता, तो इसके परिणाम आर्थिक सुरक्षा, स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और ऑस्ट्रेलियाई जीवन में पूरी तरह भाग लेने की क्षमता पर असर डालते हैं। शिखर सम्मेलन ने सेवाओं के बजाय रास्तों की ओर इशारा किया: ऐसी व्यवस्थाएँ जो लोगों की प्रगति, अपने फ़ैसले खुद लेने की आज़ादी और योगदान करने की क्षमता के इर्द-गिर्द बनी हों, जिसमें रोज़गार और उद्यमिता भी शामिल हैं।

भागीदारी आर्थिक भागीदारी से व्यापक है। इसमें सामुदायिक और नागरिक नेतृत्व, और उन संस्थाओं और निर्णयों को आकार देने के वास्तविक अवसर शामिल हैं जो लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। शिखर सम्मेलन ने चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण कमी को भी स्वीकार किया: सामाजिक सामंजस्य को आकार देने वाली भौतिक परिस्थितियों, जिनमें आवास, मज़दूरी, असुरक्षित काम और जीवन-यापन की लागत का दबाव शामिल हैं, पर अपेक्षाकृत सीमित ध्यान गया। रोडमैप के विकसित होने के साथ इन मुद्दों पर अधिक सोच-समझकर विचार करना होगा।

प्रस्तावित कार्यवाई · परखने के लिए

कौशल को काम में लाना और भागीदारी की बाधाएँ हटाना।

विदेश में हासिल कौशल और योग्यताओं की मान्यता से शुरुआत करना, रोज़गार के साथ-साथ नागरिक और सामुदायिक नेतृत्व के रास्ते बनाना, और भागीदारी को सीमित करने वाली भौतिक परिस्थितियों की जाँच करना।

स्रोत: शिखर सम्मेलन का निष्कर्ष (शिखर सम्मेलन रिपोर्ट, खंड 3.3 और 6.3)।

परामर्श के लिए

- मौजूदा क्षमता को भागीदारी में सबसे तेज़ी से क्या बदल सकता है?
- भौतिक और आर्थिक परिस्थितियों को इस ढाँचे में कैसे लाया जाना चाहिए?

प्राथमिकता 4

→ जवाबदेही

परिणाम के लिए जवाबदेह कौन है?

पाँच सत्रों में, प्रतिभागियों ने चिंता जताई कि परामर्श अक्सर सार्थक कार्रवाई में नहीं बदल पाता। लोग अपना समय, अनुभव और विशेषज्ञता देते हैं, फिर भी शायद ही कभी देख पाते हैं कि उनके योगदान ने निर्णयों को कैसे प्रभावित किया या बदलाव लाया। शिखर सम्मेलन ने सार्थक परामर्श से आगे बढ़कर वास्तविक जवाबदेही की ज़रूरत को रेखांकित किया: जो सुना गया उस पर कार्रवाई की ज़िम्मेदारी कौन लेता है, और योगदान देने वाले परिणाम कैसे देख पाते हैं? जैसा कि एक प्रतिभागी ने कहा, सुनना तब तक पूरा नहीं होता जब तक लोग यह न देख लें कि उनके बोलने से क्या बदला।

समापन सत्र ने इस सिद्धांत को सबसे ठोस रूप दिया। प्रतिभागियों ने प्रस्ताव रखा कि रोडमैप की हर प्रतिबद्धता के साथ एक जवाबदेही व्यवस्था हो:

- एक नामित जवाबदेह नेता
- संबंधित मुद्दे का प्रत्यक्ष अनुभव रखने वाला एक साझेदार
- आवश्यक संसाधन
- एक शुरुआती माप
- छह महीने पर एक माप
- प्रगति की रिपोर्टिंग का एक पारदर्शी तरीका।

प्रस्ताव यह है कि यह व्यवस्था अंतिम रोडमैप में की गई हर प्रतिबद्धता पर लागू हो। जिस प्रतिबद्धता के लिए स्पष्ट रूप से जवाबदेह व्यक्ति या संस्था, आवश्यक संसाधन और प्रगति मापने का तरीका न हो, वह सिर्फ़ एक इरादा है, रोडमैप नहीं।

प्रस्तावित कार्रवाई • परखने के लिए

रोडमैप की हर प्रतिबद्धता पर जवाबदेही व्यवस्था लागू करना।

हर प्रतिबद्धता के साथ एक नामित जवाबदेह नेता, संबंधित मुद्दे का प्रत्यक्ष अनुभव रखने वाला एक साझेदार, आवश्यक संसाधन, एक शुरुआती माप, प्रगति का एक माप और रिपोर्टिंग का एक पारदर्शी तरीका हो, और प्रतिभागियों को बताया जाए कि उनके योगदान से क्या बदला।

स्रोत: समापन सत्र से शिखर सम्मेलन का निष्कर्ष (शिखर सम्मेलन रिपोर्ट, खंड 3.4 और 6.4)। नस्लीय भेदभाव रोकने का सकारात्मक कर्तव्य अधिकार और ज़िम्मेदारी के अंतर्गत है, जहाँ शिखर सम्मेलन ने इसे रखा था।

परामर्श के लिए

- क्या यह जवाबदेही का सही मॉडल है, और इसे केवल एक आकांक्षा के बजाय वास्तव में बाध्यकारी क्या बनाएगा?

प्राथमिकता 5

→ कथा

कौन सी कहानी इन सबको संभव बनाती है?

ऑस्ट्रेलिया को एक ऐसी राष्ट्रीय कहानी चाहिए जो सत्य-कथन, बहुसंस्कृतिवाद, साझा अपनेपन और वैध असहमति को समेट सके। हम विविधता के बारे में जिस तरह बात करते हैं, वह सार्वजनिक समझ, नीति और अपनेपन को आकार देता है, और राजनीतिक तथा संस्थागत नेतृत्व यह सीमाएँ तय करने में मदद करता है कि सार्वजनिक विमर्श किसे वैध ठहराता है।

शिखर सम्मेलन बेहतर कहानियों की माँग से आगे गया। इसने सूचना परिवेश की संरचनात्मक विशेषताओं की पहचान की, जिनमें आक्रोश बढ़ाने के लिए तैयार किए गए एल्गोरिदम, व्यावसायिक प्रोत्साहन और ऐसा प्लेटफ़ॉर्म डिज़ाइन शामिल है जो समुदायों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर सकता है, और इसने डिजिटल देखभाल के कर्तव्य (digital duty of care) को एक संभावित संरचनात्मक उपाय के रूप में सामने रखा। इसने एक ऐसा प्रस्ताव भी दिया जिसे तुरंत व्यवहार में लाया जा सकता है: सूचित और निरंतर सहमति, सांस्कृतिक सुरक्षा, सह-लेखन, उचित मान्यता और समीक्षा करने या वापस लेने के अधिकार पर आधारित कहानी कहने का एक नैतिक प्रोटोकॉल, जिसे संगठन कानून या धन का इंतज़ार किए बिना लागू करना शुरू कर सकते हैं।

प्रस्तावित कार्यवाई • परखने के लिए

कहानी कहने का एक नैतिक ढाँचा और सूचना परिवेश के प्रति एक संरचनात्मक उपाय विकसित करना और बढ़ावा देना।

ढाँचे को सूचित और निरंतर सहमति, सांस्कृतिक सुरक्षा, सह-लेखन, उचित मान्यता और समीक्षा करने या वापस लेने के अधिकार पर बनाना। इसके साथ-साथ, प्लेटफ़ॉर्म प्रोत्साहनों, एल्गोरिदम द्वारा सामग्री को बढ़ावा दिए जाने और मीडिया की ज़िम्मेदारी को समेटने वाला एक संरचनात्मक उपाय विकसित करना, साथ में अपनेपन और योगदान की एक परखी हुई सार्वजनिक कथा।

स्रोत: शिखर सम्मेलन का निष्कर्ष (शिखर सम्मेलन रिपोर्ट, खंड 3.5 और 6.5)।

परामर्श के लिए

- क्या रोडमैप को सूचना परिवेश के प्रति संरचनात्मक उपाय अपनाने चाहिए, और कौन से?
- क्या आपका संगठन इन सिद्धांतों पर आधारित कहानी कहने के नैतिक प्रोटोकॉल का समर्थन या उसे अपनाएगा?
- रोडमैप को सुरक्षा और गरिमा की रक्षा कैसे करनी चाहिए, साथ ही वैध असहमति और कठिन बातचीत के लिए जगह भी बनाए रखनी चाहिए?

→ दो प्रस्ताव जिन्हें साथ रखना है

पूरे शिखर सम्मेलन में, दो महत्वपूर्ण और आपस में गहराई से जुड़े सिद्धांत उभरे, जो एक ऐसे तनाव को उजागर करते हैं जिसे सावधानी से संभालना होगा। सामाजिक सामंजस्य सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों का है: यह पूरे समाज की ज़िम्मेदारी है और इसे ऐसी चीज़ के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए जिसे बनाने की ज़िम्मेदारी प्रवासी और बहुसांस्कृतिक समुदायों की हो। साथ ही, बहुसांस्कृतिकवाद एक ऐसी राष्ट्रीय ताकत है जो ऑस्ट्रेलिया की पहचान को परिभाषित करती है, और इसे ऑस्ट्रेलिया की व्यवस्थाओं, संस्थाओं और सार्वजनिक जीवन में और गहराई से समाहित किया जाना चाहिए। आगे का काम दोनों को साथ रखना है: ऑस्ट्रेलिया के बहुसांस्कृतिक चरित्र को मान्यता देना और मज़बूत करना, साथ ही यह स्पष्ट करना कि सामंजस्य की ज़िम्मेदारी केवल बहुसांस्कृतिक समुदायों पर नहीं डाली जा सकती।

→ इस परामर्श का विस्तार

शिखर सम्मेलन ने चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण आधार दिया, साथ ही यह स्वीकार किया कि एक दिन में ऑस्ट्रेलिया में सामाजिक सामंजस्य को आकार देने वाले दृष्टिकोणों और अनुभवों की पूरी विविधता को समेटा नहीं जा सकता। कई क्षेत्रों पर सीमित ध्यान गया या उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, जिनमें प्रथम राष्ट्रों का ज्ञान और नेतृत्व, विकलांग लोग, युवा, क्षेत्रीय और ग्रामीण समुदाय, छोटे धार्मिक समुदाय, भौतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ, और साक्ष्य तथा मापन के तरीके शामिल हैं।

परामर्श प्रक्रिया इन कमियों को लक्षित लिखित योगदानों और उन लोगों तथा संगठनों के साथ संवाद के माध्यम से दूर करना चाहती है जिनके दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व कम रहा, जिसमें प्रथम राष्ट्रों के नेताओं और संगठनों के साथ अलग से संवाद शामिल है। हम विशेष रूप से इन समूहों के योगदान को प्रोत्साहित करते हैं ताकि अंतिम रोडमैप अनुभवों, प्राथमिकताओं और विशेषज्ञता के व्यापक दायरे को दर्शाए, और उन आवाज़ों से मज़बूत हो जो उस दिन पर्याप्त रूप से नहीं सुनी गईं।

→ हम आपसे क्या पूछ रहे हैं

- क्या हर प्रस्तावित कार्रवाई समस्या को दर्शाती है? क्या छूट गया है या क्या बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया है?
- आपका संगठन जिन लोगों के साथ काम करता है, उनके लिए कौन सी कार्रवाइयाँ सबसे महत्वपूर्ण हैं?
- रोडमैप को अंतिम रूप देने से पहले क्या बदलना चाहिए?
- अगले चरण को किनके दृष्टिकोण सुनने की ज़रूरत है?
- वैकल्पिक: क्या आपका संगठन पाँच कार्य-क्षेत्रों में से किसी एक में योगदान देना चाहेगा, और कौन सा?

भाग कैसे लें

16 अक्टूबर 2026	परामर्श FECCA सम्मेलन में लाइव सत्र से शुरू होता है। पाँच धाराएँ सभागार के सामने रखी जाती हैं।
19 अक्टूबर 2026	सर्वेक्षण शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों और आयोजक साझेदारों के नेटवर्क को भेजा जाता है।
6 नवंबर 2026	परामर्श बंद होता है। हर ठोस बिंदु दर्ज किया जाता है और उसे प्रलेखित परिणाम दिया जाता है।
परामर्श के बाद	‘हमने क्या सुना, क्या बदला’ रिपोर्ट हर प्रतिक्रियादाता को भेजी जाती है। अंतिम रोडमैप यहूदी-विरोध और सामाजिक सामंजस्य पर रॉयल कमीशन और सरकार को सौंपा जाता है।
छह महीने बाद	जवाबदेही संरचना के अनुसार प्रतिबद्धताओं की रिपोर्ट दी जाती है।

यह परामर्श कैसे चलता है

परामर्श 16 अक्टूबर 2026 को FECCA सम्मेलन में एक लाइव सत्र से शुरू होता है, जहाँ पाँच प्राथमिकताएँ और प्रस्तावित कार्रवाइयाँ पाँच कार्य-क्षेत्रों के रूप में उपस्थित लोगों के सामने रखी जाएँगी और चर्चा तथा परामर्श सर्वेक्षण के माध्यम से परखी जाएँगी। वहाँ मौके पर दी गई प्रतिक्रियाएँ परामर्श की औपचारिक प्रतिक्रियाएँ मानी जाएँगी। इसके बाद सर्वेक्षण 19 अक्टूबर 2026 को शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों और आयोजक साझेदारों के नेटवर्क को भेजा जाएगा और 6 नवंबर 2026 को बंद होगा। प्रतिक्रियाएँ thinksocialcohesion.com.au पर परामर्श सर्वेक्षण के माध्यम से दी जा सकती हैं, जो ऊपर दिए गए प्रश्न पूछता है। तीन आयोजक साझेदारों और शिखर सम्मेलन की अवधारणा और कार्यपद्धति तैयार करने वाले (Summit Architect) का एक कार्य समूह हर प्रतिक्रिया की समीक्षा करेगा। हर ठोस बिंदु को एक फ़ीडबैक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उसका परिणाम लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा: स्वीकृत, संशोधित, या अस्वीकृत, कारणों सहित।

ईमेल पता देने वाले हर प्रतिक्रियादाता को ‘हमने क्या सुना, क्या बदला’ रिपोर्ट मिलेगी, जो दिखाएगी कि परामर्श से मिले योगदान ने अंतिम रोडमैप को कैसे आकार दिया, और अंतिम रोडमैप यहूदी-विरोध और सामाजिक सामंजस्य पर रॉयल कमीशन (Royal Commission on Antisemitism and Social Cohesion) और सरकार को सौंपा जाएगा। शिखर सम्मेलन ने मूल रूप से छह महीने की जवाबदेही समीक्षा का प्रस्ताव रखा था, जो 28 जनवरी 2027 के लिए निर्धारित थी। हालाँकि, चूँकि रोडमैप को अपेक्षा से देर से अंतिम रूप दिया जा रहा है, उस समय समीक्षा से प्रतिबद्धताओं को लागू करने और प्रगति का सार्थक आकलन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। इसलिए समीक्षा अंतिम रोडमैप के प्रकाशन के छह महीने बाद होगी, जिसमें रोडमैप के जवाबदेही ढाँचे के माध्यम से प्रतिबद्धताओं पर प्रगति का आकलन किया जाएगा और उसे सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किया जाएगा। यह इस बात का एक महत्वपूर्ण माप देगा कि की गई प्रतिबद्धताएँ सार्थक कार्रवाई और ठोस परिणामों में बदल रही हैं या नहीं।